संख्या- 03/2018/161/छः ना0सु0-18-4बजट/17

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग **लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2018**

विषयः नागरिक सुरक्षा निदेशालय हेतु दो नई स्टाफ कारों के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3031/अनु-2/बजट-35/2017 दिनांक-29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय में उपलब्ध स्टाफ कारों की नीलामी के कारण उनके प्रतिस्थापन हेतु दो नई स्टाफ कार (मॉडल शियाज़ डेल्टा पेट्रोल कार) के क्रय हेतु रू0-14.59 लाख की धनराशि स्वीकृति जारी किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी

(2) जिस मद में धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक कर लिया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(5) वाहनों के क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23-08-2017 के अनुसार ''विसेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम)'' के माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) वाहनों के क्रय हेतु धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व निष्प्रयोज्य वाहनों की नियमानुसार नीलामी कराकर धनराशि राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

3- उपरोक्त मद में होने वाला व्यय संलग्नानुसार अनुदान संख्या-27 के लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय की स्थापना-0302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाना वाला व्यय 25 प्रतिशत 01-वेतन में हो रही बचत में से रू0-14.59 लाख का पुनर्विनियोग लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106-सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय की स्थापना-0302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किये जाना वाला व्यय 25 प्रतिशत-14 कार्यालय के प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों आदि के क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह शासनादेश वित्त विभाग की अ0शा0 संख्या-ई-12-320/दस-17, दिनांक 06-03-2018 में प्राप्त सहमति से किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

,

राजन शुक्ला
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।
5- वित्त (बजट) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (तीन प्रतियों में)।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील यादव
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।